जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 30-06-2021

आज दिनांक 30.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 10 कुन्तल अवैध लहन व 02 भट्ठियों को किया गय़ा नष्ट

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता चिथर पुत्र बनारसी निवासी अव्वल केवटलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 166 / 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे0का0 फखरुद्दीन खां, का0 रत्नेश सिंह।

थान धनघटा पुलिस द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत प्रभारी चौकी बिडहरघाट उ0नि0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय द्वारा का0 अनूप कुमार शर्मा, का0 पीयूष सिंह, का0 मुकेश कुमार, का0 संदीप कुमार, का0 राजू गौड़ के साथ अभियान चलाकर चपरा पूर्वी व तुर्कवलिया में सरयू नदी के किनारे दबिश के दौरान करीब 10 कुन्तल लहन एवं 02 भट्ठीयों को नष्ट किया गया ।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्रा** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 318/21 धारा 376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता समर चौधरी पुत्र चन्द्रिका चौधरी निवासी बंजरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा दिनांक 16.05.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 30.06.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- वरिष्ठ उ0नि0 श्री राकेश कुमार मिश्रा, का0 अभिलेख कुमार, का0 अरुण कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 33 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत बंगलाताल से इवेन्ट संख्या 00124 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 03 मिनट में पहुँचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल

व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 जीवनचन्द, आ0 बृजेश कुमार यादव, हो0चा0 पवन पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 163 वाहनो से 156500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 163 वाहनो से 156500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।